न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 28/2023

प्रार्थीः—	बनाम	विप्रार्थीगणः—
1. कादर खां पुत्र नगे खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी श्यामपुरा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत गिड़ा, पंचायत समिति गिड़ा, जिला बालोतरा 2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गिड़ा, पं.स.गिड़ा 3. बाबू खां पुत्र मुरीद खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी श्यामपुरा गिड़ा, तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 30 दिनांक 31.05.2022 जो विप्रार्थी सं. 03 के नाम ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितिः—

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश डाबी, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : **10.09.2024**

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध दिनांक 19.09.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम गिड़ा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 30 दिनांक 31.05.2022 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1216 वर्गफुट बाद संशोधन दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में पाबुजी का मंदिर व पहाड़ 32, दक्षिण में खाली आबादी भूमि 32 फीट, पूर्व में कादर खां पुत्र नगे खां का भूखण्ड 38 फीट,

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

पश्चिम में कानोड़ डामर सड़क 38 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत गिड़ा पंचायत समिति गिड़ा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अधिवक्ता प्राथी की ओर निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया कि आलोच्य भूखण्ड जो कि मौजा गिड़ा की आबादी भूमि में अवस्थित है। उस भूमि का उपयोग निगरानीकर्ता अपने आवागमन हेतु उपयोग में लेता है। जिस पर भूखण्ड पर बाबू खां पुत्र मुरिद खां द्वारा अतिचार कर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है और ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा विधिनुसार प्रक्रिया अपनाये बिना ही जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जवाब में अधिवक्ता विप्रार्थी द्वारा कहा गया कि विप्रार्थी संख्या 03 का उक्त भूखण्ड पर पुराना कब्जा है और जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा सर्व साधारण सभा में प्रस्ताव पास कर पंचायत नियमों के अधीन जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधरित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है, जो निगरानी को खारीज करने योग्य है।

5. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया। अवलोकन उपरांत आलोच्य भूखण्ड की वर्तमान मौका स्थिति व कब्जा स्थिति जानने के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति गिड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की। मौका रिपोर्ट में विकास अधिकारी पंचायत समिति गिड़ा ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर बताया कि ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा बाबूखां पुत्र मुरीद खां को दिनांक 31.05.2022 को जो पट्टा जारी किया गया था उसका माप 50X40 था। जिसे बाद में दिनांक 02.10.2023 को आयोजित ग्राम सभा में संशोधित करते हुए 38X32 का पट्टा बाबू खां पुत्र मुरीद खां को जारी किया गया।

वर्तमान में मौके पर बाबू खां पुत्र मुरीद खां का कब्जा 38X32 का है जिसमें से 38 फुट गिड़ा जाजवा डामर सड़क पर है और मौके पर बाबू खां पुत्र मुरीद खां के भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। कादर खां का भूखण्ड बाबू खां/मुरीद खां के भूखण्ड के पीछे आया हुआ है। जिसका ग्राम पंचायत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया है तथा इनके आवागमन के लिए रास्ता बाबू खां/मुरीद खां के भूखण्ड के पास दक्षिण दिशा में है। कादर खां निगरानीकर्ता के भूखण्ड जिसका ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है एवं संबंधित के पास उक्त कब्जे का कोई पुख्ता कागजात भी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा बाबू खां/मुरीद खां को 38X32 का पट्टा जारी किया गया है एवं कादर खां के भूखण्ड में जाने हेतु दक्षिण दिशा में 12 फुट का मार्ग उपलब्ध है। जिस पर वर्तमान में किसी का कब्जा प्रतीत नहीं होता है।

6. मौका की जांच रिपोर्ट उपरांत अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने लिखित निवेदन कर अवगत कराया कि निगरानीकर्ता का पुस्तैनी कब्जासुदा भूखण्ड आबादी गांव गिड़ा में आया हुआ है, जिसमें उनके रहवासीय ठाव बने हुए है। जिसका उपयोग निगरानीकर्ता द्वारा किया जाता है। उक्त भूखण्ड में आवागमन का रास्ता निगरानीकर्ता के भाई गफुर खां के हिस्से में रखे 100 फीट लंबाई व 50 फीट चौड़ाई वाले भूखण्ड के एक भाग में से चलता रहा है। निगरानीकर्ता के भाई के कब्जे की भूमि से जुड़ती ग्राम पंचायत की खुली भूमि पड़ी है, जिस पर विप्रार्थी संख्या 03 की बदनियती होने से विप्रार्थी संख्या 03 ने विप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलकर बिना कब्जे व बिना मौका जांच वस्तुस्थिति की कार्यवाही किये बिना ही मौके पर अवस्थित भूमि से अधिक नाप का पट्टा अन्तर्गत नियम 157(1) राज. पंचायतीराज अधिनियम के तहत पट्टा संख्या 30 दिनांक 31.05.2022 को जारी करवा दिया। जिसकी निगरानीकर्ता को कोई जानकारी नहीं होने दी। तत्पश्चात ऐसे अवैध पट्टे के आधार पर मौके पर एकमात्र आवागमन के रास्ते पर अतिचार किया। तब उक्त पट्टा की वैधता को निगरानीकर्ता ने श्रीमान के समक्ष चुनौती देकर प्रश्नगत किया।

निगरानी प्रकरण की जांच हेतु न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी से मंगवाई गयी, जो ग्रा0वि0अधि0 गिड़ा से जरिये पत्र क्रमांक – ग्रा.पं.गिड़ा/2023–24/127 दिनांक 06.12.2023 को प्रेषित की गई। जिसमें 08 फीट + 30 फीट व लम्बाई में 32 फीट का भूखण्ड उतरदाता संख्या 03 का भूखण्ड होना बताया तथा उसके पीछे मार्क सी स्थान पर निगरानीकार का कब्जासुदा भूखण्ड एवं कमरा होना बताया। उक्त रिपोर्ट में ई स्थान पर भगवानाराम भूंकर का कब्जा सुदा भूखण्ड होना बताया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आलोच्य पट्टा जो 50 फीट X 40 फीट का जारी किया गया था, जो कि मौके पर ऐसा कोई भूखण्ड नहीं था।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत होने के बाद ऐसे पट्टे की वैधता जो सक्षम न्यायालय में चुनौतीपूण है, को संशोधित करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है और न

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

ही ग्राम पंचायत को एक बार पट्टा जारी करने के बाद पट्टे में संशोधन करने का कोई अधिकार ही विधि के अन्तर्गत नहीं है। अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि जब मौके पर 40 फीट चौड़ी व 50 फीट लम्बी भूमि ही नहीं थी तो प्रथमतः पट्टा उसे क्यों और कैसे जारी किया, इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर कोई नाप या मौका स्थिति की जांच मौका सर्वेक्षण नहीं हुआ था, इस कारण अधिक नाप का पट्टा जारी किया गया तथा इसके अलावा ऐसा पट्टा पंजीकृत भी करवा दिया गया अर्थात ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 30 दिनांक 31.05.2022 के बाद उस पट्टे से प्रभावमुक्त हो चुकी थी।

अर्थात न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन, अन्तरिम आदेश विचाराधीन होने के उपरांत भी विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने विप्रार्थी संख्या 03 से मिलावट कर जो भूजा 50 फीट थी उसे 32 व जो भूजा 40 फीट थी उसे 38 फीट करके संशोधित पट्टा भी जारी करने का उमक्रम किया गया, जबकि विधि के अन्तर्गत ऐसा कोई विधिक प्रावधान राज. पंचायतीराज अधिनियम में प्रावधित नहीं है।

वर्तमान में प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा स्वीकृत रूप से विप्रार्थी संख्या 03 को नियम 157(1) के तहत आवासीय भूमि का आवास हेतु जारी किया गया है, जिसके विपरीत अन्य कोई कथन विप्रार्थी संख्या 03 या विप्रार्थी संख्या 01 व 02 नहीं कर सकते। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं उनकी एजेंसी पूर्णरूप से विप्रार्थी संख्या 03 का पक्ष ले रहे है और उन्हें विधि विरूद्ध कृत्य करें और उनकी सुरक्षा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 व उनके उच्चाधिकारी करेंगें। जिसका उदाहरण उनकी रिपोर्ट है जो विकास अधिकारी पंचायत समिति गिड़ा द्वारा जारी की गई है। जिसमें वें यह स्वीकार करते है कि मौके पर प्रश्नगत सम्पति में दुकाने बनी हुई है व जो निर्माणाधीन है, जबकि पश्नगत पट्टा संख्या 30 आवासीय प्रयोजनार्थ आवासीय भूमि का जारी हुआ है, फिर भी इस संबंध में कोई विधिक कार्यवाही ऐसे पट्टे को निरस्तीकरण बाबत् नहीं की जा रही है।

अतः अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने लिखित बहस पेश कर तर्क दिया कि उक्त निगरानी न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रश्नगत पट्टा की वैधता को चुनौतीगत रहते हुए पट्टे के संबंध में संशोधित पट्टा जारी करने हेतु कोई अनुमति नहीं चाही गई, जो विधि विरूद्ध रूप से पट्टा संशोधन का उपक्रम अपने अधिकार क्षेत्र एवं कानून के विपरीत जाकर किया गया, इस कारण आलौच्य पट्टा निरस्त, अपास्त किये जाने योग्य है। क्योंकि यदि वर्तमान पट्टे को यथा स्वरूप में रखा जाता है तो निगरानीकर्ता के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, ऐसा आलोच्य पट्टा, संशोधन कार्यवाही, मौका फर्दे बिना निगरानीकर्ता को सूचना दिये ही उसकी अनुपस्थिति में तैयार कर जारी की गई है, इसलिए आलोच्य पट्टा को निरस्त कर मौके पर

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

निगरानीकर्ता की उपस्थिति में पूर्ण नाम इत्यादि कार्यवाही करने के पश्चात ही यदि भूमि मौके पर उपलब्ध पायी जाती है तो नये सिरे से विधिक कार्यवाही की जा सकती है। उक्त पट्टे को वर्तमान स्वरूप में विध्यमान रखना न्याहित में उचित नहीं है इसलिए निगरानीकर्ता का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलोच्य पट्टा निरस्त किया जावें।

7. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति गिड़ा की ओर प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 03 का पुराना कब्जा है और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में पट्टा सं. 30 दिनांक 31.05.2022 मय संशोधन को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से निगरानीकर्ता की और से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य होने से खारिज की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिसल संख्या 19/2022–23 में जारी पट्टा संख्या 30 जारी दिनांक 31.05.2022 मय संशोधन को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **10.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हो।

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा